न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 77 / 2016

1 भागुराम आयु 54 साल पुत्र स्व. हनुमानाराम
2 गिरधारी आयु 48 साल पुत्र स्व मुंगाराम
3 बंशीधर आयु 43 साल पुत्र स्व. मुंगाराम
4 माडुराम आयु 29 साल पुत्र मुंगाराम
5 मालाराम आयु 55 साल पुत्र स्व. सुण्डाराम
6 भागीरथ आयु 48 साल पुत्र स्व. सुण्डाराम
जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 मृतका श्रीमती पतासी पत्नी स्व. हनुमानाराम जाति गुर्जर निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं। 'नोट दौराने प्रार्थना पत्र देहान्त हो गया।'
2/1 श्रीमती माली पुत्री स्व. हनुमानाराम पत्नी न्योरताराम जाति गुर्जर निवासी माहवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
2/2 श्रीमती ग्यारसी पुत्री स्व. हनुमानाराम पत्नी हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी माहवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
2/3 श्रीमती धोली पुत्री स्व. हनुमानाराम पत्नी हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी खोह तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रथम अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधि. 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 20.06.2016 बमुकदमा उनवानी राज. सरकार बनाम भागुराम आदि प्रार्थना पत्र अ.धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
मु.नं. 531/2016

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 531/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में जमीन खसरा नम्बर 229 रकबा 3.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम राजीवपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी के बाबत प्रार्थना पत्र अ.धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सुनवाई का मौका दिये बिना ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 20.06.2016 को एक तरफा निर्णय पारित कर जमीन खसरा नम्बर 229 रकबा 3.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम राजीवपुरा में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की खातेदारी समाप्त कर इस जमीन को सिवाय चक

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि घोषित कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को बेदखल करने का आदेश किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अ.धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 पर निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को सुनवाई व जवाब देही का अवसर नहीं दिया। दौराने प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 श्रीमती पतासी को देहान्त हो गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो शुन्य है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2015 को दर्ज करने व अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को तलब करने का आदेश पारित कर तारीख पेशी दिनांक 16.01.2016 दी। दिनांक 18.01.2016 को अग्रिम कार्यवाही के लिये तारीख पेशी दिनांक 18. 02.2016 दी। दिनांक 18.02.2016 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की तलबी हेतु तारीख पेशी दिनांक 28.04.2016 दी। दिनांक 28.04.2016 को कोई कार्यवाही न कर पेशी दिनांक 12.05.2016 दी। दिनांक 12.05.2016 को भी कोई कार्यवाही न कर तारीख पेशी दिनांक 20.06.2016 दी। दिनांक 20.06.2016 को कैम्प कोर्ट में बिना अपीलान्टस को सुने व बिना रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के कायम मुकाम बनाये निर्णय पारित कर दिया जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में यह दर्ज नहीं है कि अपीलान्टस के नोटिस जारी हुये हो व अपीलान्टस की तामील हुई हो। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की तामील होना नहीं माना। इसके अलावा अपीलान्टस की तामील अपीलान्टस पर नहीं हुई। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र अपूर्ण है। प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि किस खसरा नम्बर की कितनी जमीन तक अकृषि के काम में ली गयी। पटवारी हल्का ने जमीन खसरा नम्बर 229 में से लगभग 0.20 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 231 में से लगभग 0.20 हैक्टेयर में खड्डा खोदना दर्ज किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पटवारी हल्का ने बिना नाम के ही अंदाज से उक्त रकबा दर्ज कर दिया। इसके बावजूद भी जमीन खसरा नम्बर 299 रकबा 3.40 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 231 रकबा 0.46 हैक्टेयर की खातेदारी समाप्त करने का निर्णय पारित करने में भूल की है। रिपोर्ट पटवारी व प्रार्थना पत्र अ.धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम में यह अंकित नहीं है

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कि खसरा नम्बर 299 व खसरा नम्बर 231 के पुरे रकबे को अकृषि में परिवर्तित कर दिया हो ऐसी सूरत में निर्णय दिनांक 20.06.2016 विधि विरूद्ध है। धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत मियाद 3 साल है। प्रार्थना पत्र आदि में यह अंकित नहीं किया कि कितना क्षेत्रफल कब अकृषि में परिवर्तित किया गया। प्रार्थना पत्र में मियाद न होना दर्ज कर प्रार्थना पत्र गलत पेश किया। अपीलान्टस की मौजुदगी में पटवारी हल्का ने मौका नहीं देखा व न ही नपति की रिपोर्ट गलत है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र भी दो प्रतियों में नही है व प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र न्यायालय या शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित नहीं है व न शपथ पत्र में तारीख है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 229, 231 वाके ग्राम राजीवपुरा में मौके पर खनन किया हुआ है। मौके पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रकिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।

2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।

4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।
(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।
(स) खनन की गई भूमि के फोटोग्राफ/गुगल मेप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।

6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II RAS)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर